मै0 दिनेश सिंह गढ़िया ग्रामः–उडियार, तहसीलः–दुगनाकुरी जिला–बागेश्वर उत्तराखण्ड, सोप स्टोन माईन्स के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 08.08.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 दिनेश सिंह गढ़िया उडियार सोप स्टोन माईन्स तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के सोप स्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल 4.667 है0) हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना– 2006 यथासंशोधित के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों हिन्दुस्तान (उत्तराखण्ड संस्करण) एवं हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली संस्करण) में दिनांक 06.07.2024 के अंकों में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 08.08.2024 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी तदक्रम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 08.08.2024 को अपरान्ह् लगभग 11:00 बजे निकट परियोजना स्थल तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम डॉ0 डी0के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था पी0एण्ड0एम0 सौल्यूशन नोएडा उ0प्र0 के श्री भरत सिंह रावत द्वारा द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना ईआईए अधिसूचना,2006 और इसके बाद के संशोधन के अनुसार ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट तैयार की गई है।

क्रमशः–2

प्रस्तावित खनन परियोजना को श्रेणी बी 1 परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिसके तहत जनसुनवाई की जा रही है। प्रस्तावित सोप स्टोन माईनिंग परियोजना से 57 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खनन क्षेत्र में प्रतिबन्धित क्षेत्र यथा आवासीय भवन, मोटर मार्ग, पहुँच मार्ग, खच्चर मार्ग, विद्युल लाईन व धार्मिक स्थल आदि इस प्रकार का कोई प्रतिबन्धित क्षेत्र नहीं है। खदान पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि गैर वन कृषि भूमि है। खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी सार्वजनिक भवन एवं स्मारक आदि नहीं हैं जिससे खनन गतिविधियों में कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है। खनन क्षेत्रान्तर्गत धूल को दबाने के लिए शुष्क अवधि के दौरान हॉल रोड पर पानी के छिड़काव का प्राविधान किया गया है। सोपस्टोन खनन में कोई ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी। प्रस्तावित माईन में कार्य करने हेतु 03 पिट प्रस्तावित की गई हैं, माईन में कार्य सेमी मेकेनाईज्ड पद्धति से किया जायेगा, ऊपरी सतह में निकाली गई मिट्टी को लीज क्षेत्र में रखा जायेगा, खदान क्षेत्र में विस्फोटकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खदान में अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रथम 05 वर्षों में कुल– 100543 टन अनुमानित मात्रा का उत्पादन किया जाना है। प्रस्तावित खनन क्षेत्रान्तर्गत के आस–पास मिट्टी के नमूनों की भौतिक विशेषताओं को विशिष्ट मापदण्ड मिट्टी के नमूनों में चालकता 258–288 ओमस्/सेमी से लेकर थी कम थोक धनत्व वाली मिट्टी में अनुकूल भौतिक स्थिति होती है जब कि उच्च थोक धनत्व वाली मिट्टी कृषि फसलों के लिए खराब भौतिक स्थिति प्रदर्शित करती है। परिणामों के आधार पर यह स्पष्ट है कि मिट्टी किसी भी प्रदूषणकारी स्त्रोत से दूषित नहीं है। परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी से पता चलता है कि आवासीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर है। पेयजल गुणवत्ता मानक सभी भौतिक–रासायनिक मानकों और भूजल नमूनों से भारी धातुएं पीने के पानी के मानकों के लिए निर्धारित सीमा से नीचे हैं। अध्ययन अवधि के दौरान अध्ययन क्षेत्र में एकत्र किये गये सभी नमूनों का पीएच मान सीमा के भीतर पाया गया। अध्ययन क्षेत्र से एकत्र किये गये पानी की नमूनोंको खतप के लिए फिट पाया गया, अधिकांश भूजल के नमूने आईएस के अनुसार, अनुमेय सीमा के भीतर अच्छी तरह से हैं। सभी नमूनों में अधिकांश भारी धातुएं पता लगाने योग्य सीमा से नीचे है। शोर की निगरानी अध्ययन क्षेत्र के 10 किमी क्षेत्र के भीतर शोर की गुणवत्ता की स्थिति एमओईएफ मानकों के भीतर है। खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी सार्वजनिक भवन एवं स्मारक आदि नहीं हैं जिससे खनन गतिविधियों में कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्रमशः–3

क्षेत्र में खनन गतिविधियों का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित परियोजना स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करेगी औरजब भी जनशक्ति की आवश्यकता होगी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। वन जीवन की संवेदनशीलता एवं महत्व के बारे में श्रमिकों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जायेगा। आरक्षित वन क्षेत्र में श्रमिकों व वाहनों के आवागमन के लिए कोई पथ या नई सड़क नहीं बनायी जानी चाहिए इससे वन विखण्डन, अतिक्रमण और मानव पशु मुठभेड को रोका जा सकेगा। अयस्क सामग्री ले जाने के लिए केवल कम प्रदूषण वाले वाहन को ही अनुमति दी जाएगी। वन क्षेत्र में हॉर्न की अनुमति नहीं होगी, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) सीपीसीबी मापदण्डों के अनुसार ध्वनि स्तर अनुमन्य सीमा के भीतर होगा। खदान का संचालन खनन की ओपनकास्ट सह अर्ध–मशीनीकृत विधि से किया जायेगा। अयस्क की कठोर प्रकृति के कारण किसी अन्य वैकल्पिक तकनीक का उपयोग नहीं किया जायेगा। खदान के आसपास के पर्यावरण पर खनन के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल कार्य किया जायेगा। परियोजना के माध्यम से सी0ई0आर0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु बजट की कुल धनराशि रू0– 3.90 (लाख में) रखी गयी है तथा पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रथम वर्ष में धनराशि रू0– 7.70 (लाख में) एवं आवर्ती लागत रू0– 5.10 (लाख में) का प्राविधान रखा गया है साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि सीमा के साथ रिटेनिंग वॉल के लिए पूजीगत लागत रू0– 1.50 (लाख में) को परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त इस धनराशि का बढ़ाकर रू0– 3.00 (लाख में) किया जायेगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत मजदूरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। खनन गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा, खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, यह चिकित्सा सुविधाएं आपात स्थिति में आस–पास के स्थानीय लोगों को भी उपलब्ध करायी जायेगी। मानसून प्रारम्भ होने से पहले सभी खनन गढढों को अपशिष्ट पदार्थ द्वारा भरकर समतल कर लिया जायेगा ताकि बरसात में अपशिष्ट पदार्थ के रिसाव की रोकथाम की जा सके समतलीकरण किये हुय भूमि पर मानसून सत्र के दौरान खेती की जायेगी। नालों में चैक डैम भी बनाये जायेंगे, ताकि बरसात का साफ पानी चैक डैम के माध्यम से निकल जाय तथा अपशिष्ट पदार्थ चैक डैम की सतह पर एकत्रित हो सके। खनन गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा,

क्रमशः–4

खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, यह चिकित्सा सुविधाएं आपात स्थिति में आस–पास के स्थानीय लोगों को भी उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना के स्थापित हो जाने के फलस्वरूप ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार, रॉयल्टी कर और कर्तव्यों के अनुसार राज्य को राजस्व में वृद्धि तथा बेहतर संचार और परिवहन सुविधाएं आदि प्राप्त होगी। खनन उपरान्त खेतों को पूर्व की भांति खेती किये जाने हेतु तैयार कर काश्तकारों को सुपुर्द किया जायेगा। प्रस्तावित खनन परियोजना पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव के बिना आगे बढ़ सकती है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका–टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत हैः–

1. श्री लक्ष्मण सिंह खाती ग्राम उडियार तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– पूर्व में किये गये खड़िया खनन से खेत बर्बाद हो गये हैं खनन से रास्तें ध्वस्त होने के कारण आवागमन के साधन बन्द हो गये हैं। प्रस्तावित जनसुनवाई में जिन लोगों द्वारा पट्टाधारक से पैसा प्राप्त कर लिया है वह लोग उपस्थित नहीं हुये हैं। उडियार क्षेत्र के खेतों को खनन से भारी नुकसान हुआ है। पट्टाधारक को मिट्टी रखने के लिए खेत दिये थे वह मलुवा के कारण बह गये हैं। खेतों में 03 वर्ष से खड़िया खनन का कार्य हो रहा है परन्तु मुआवजा मात्र 02 वर्ष का ही पट्टाधारक द्वारा दिया गया है। खनन उपरान्त खेतों को बनाया जाय। उडियार गांव खनन से बहने वाला है उडियार में खनन नहीं होगा। 02 खेत मेरे बहे है जिसका मुआवजा मात्र धनराशि य0– 10,000 दिया गया है जबकि खेत का मूल्य 10.00 (लाख में) का है। खनन कार्य का निरीक्षण जांच हो तब कुछ होगा। पट्टाधारक क्षतिग्रस्त खेत को बनाये व 02 वर्ष का मुआवजा भुगतान करें।
2. श्री रविन्द्र सिंह खाती ग्राम उडियार तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– पट्टाधारक लोक सुनवाई में उपस्थित नहीं हैं और न ही हमारा फोन रिसीव करते हैं यदि वह उपस्थित होते तो हम उनके सम्मुख बात रखते। खनन से खेत बर्बाद हो गये हैं रास्ते बह गये हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। खनन क्षेत्र के जांच निरीक्षण की आवश्यकता है।
3. श्री तारा सिंह खाती ग्राम उडियार तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– पट्टाधारक खनन क्षेत्र की मिट्टी खेतों में रखने के उपरान्त मुआवजा का भुगतान नहीं कर रहे हैं। खनन से गांव की भूमि धँस चुकी है। पट्टाधारक क्षेत्रान्तर्गत नहीं आते हैं। खनन वालो द्वारा धमकी दी जाती है कि क्या हमसे जीत पाओगे। खनन से पेयजल योजना ध्वस्त कर पेयजल से ग्रामीणों को वंचित कर रखा है। जिसका संज्ञान लिया जाना आवश्यक है।

क्रमशः–5

4. श्री नीरज सिंह खाती ग्राम उडियार तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री नीरज सिंह द्वारा बताया गया कि इस लोकसुनवाई के लिए उडियार के समस्त ग्रामीणों को सूचित नहीं किया। खनन से खेत धँस चुके हैं। महिलाओं को खेती व जंगल का कार्य किये जाने के लिए रास्ते नहीं रह गये हैं जिस कारण घटनाएँ घटित हो रही हैं।
5. श्री त्रिलोक सिंह खाती ग्राम उडियार तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री त्रिलोक सिंह द्वारा बताया गया कि जिस खेत को मिट्टी रखने हेतु पट्टाधारक को दिया गया था वह खेत बहकर चला गया है और पट्टाधारक का कोई अता–पता नहीं है।
6. श्री त्रिलोक सिंह खाती ग्राम उडियार तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– ग्राम उडियार में 150 आवास हैं जिसमें मात्र 07 आवासों के लोग ही लोक सुनवाई में उपस्थित हैं। खनन से उडियार अन्तर्गत रास्ते समाप्त हो चुके हैं। पट्टाधारक फोन को रिसीव नहीं करते हैं और खनन वाले धमकियां देते हैं। खनन क्षेत्र से ग्राम रंगदेव को जाने वाली पेयजल लाईन को ध्वस्त कर भीषण पेयजल समस्या उत्पन्न की जा चुकी है जिसका निरीक्षण व जांच किया जाना आवश्यक है।
7. श्री पूरन चन्द्र जोशी ग्राम रंगदेव तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री पूरन चन्द्र द्वारा बताया गया कि उडियार में खनन कार्य से रंगदेव गांव की पेयजल लाईन को क्षतिग्रस्त कर ग्रामीणों के सम्मुख पेयजल समस्या उत्पन्न की जा चुकी है।
8. श्री दुर्गा सिंह खाती ग्राम उडियार तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री दुर्गा सिंह द्वारा बताया गया कि पट्टाधारक द्वारा मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। खनन कार्य से खेतों मे पत्थर आ रहे हैं आवागमन हेतु रास्तें नहीं रह गये हैं। पट्टाधारक के प्रतिनिधि झूठ बोल रहे हैं।
9. श्री केदार सिंह खाती ग्राम उडियार तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री केदार सिंह द्वारा कहा गया कि पट्टाधारक द्वारा मात्र काम चलाने के लिए मुआवजा भुगतान किया गया है। खेतों में खनन से मलुवा आ रहा है तथा खेत नहीं बनाये जा रहे हैं। जिस प्रकार दोनों ओर से खेतों मालिका को नुकसान हो रहा है।
10. श्री योगेश सिंह गढ़िया (पट्टाधारक प्रतिनिधि)– उपरोक्त टिप्पणियों/आपत्तियों के संदर्भ में पट्टाधारक प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि परियोजना में विगत वर्ष खनन कार्य हुआ था वर्तमान में खनन कार्य बन्द है पूर्व में खनन परियोजना को जिला स्तरीय पर्यावरण समिति द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर खनन कार्य विगत वर्ष तक किया गया परन्तु एनजीटी के नये आदेशानुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण समिति के आदेशानुसार आज लोक सुनवाई प्रस्तावित की गयी है।

क्रमशः–6

वर्तमान में खनन कार्य न होने से आय के कोई साधन नहीं हैं। जब माईन में कार्य हो रहा था तब सबको अच्छा मुआवजे का भुगतान किया गया है। खेतों में मिट्टी रखने के मुआवजे का ससमय भुगतान किया गया है। बरसात में बह जाने वाले खेतों में अनाज का भुगतान संबंधित काश्तकार को किया जाता है। हम काश्तकारों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। पूर्व में खनन कार्य से 1500 टन के उत्पादन पर पूरे 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है फिर भी हमने खनन कार्य 3,1/2 मांह चलाकर पूर्णवर्ष का मुआवजा दिया है यदि खेत मालिका का सहयोग नहीं होगा तो खनन कार्य माईन कैसे चलेगी। खनन कार्य में कुछ लोगों का सहयोग भी मिला है। मुआवजे का भुगतान चैक के माध्यम से किया गया है।

तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा उपस्थित लोगों से पुनः सुझाव/आपत्तियों हेतु अनुरोध किया गया तथा कहा गया कि आपसे प्राप्त सुझावों/आपत्तियों को जनसुनवाई के कार्यवृत्त में सम्मिलित किया जायेगा। आपसे प्राप्त सुझाव/आपत्तियां प्रस्तावित परियोजना के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि खनन हेतु उपयोग किये जा रहे खेतों के मुआवजे के संबंध में पट्टाधारक व खेत मालिक के मध्य होने वाले अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार मुआवजा भुगतान नहीं हो रहा है। मुआवजे के प्रकरणों हेतु जिलाधिकारी नामित हैं जो मुआवजे संबंधी प्रकरणों की जांच कराकर मुआवजा निर्धारित कर मुआवजे के भुगतान के आदेश निर्गत करते हैं। यदि अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है तो प्रभावित पक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा मा0 सिविल न्यायाल में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र हैं तथा पट्टाधारक प्रतिनिधि से काश्तकारों के लम्बित मुआवजा संबंधित प्रकरणों का आपसी समन्वय के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किये जाने की अपेक्षा की गयी।

अन्य सुझाव/टिप्पणियॉ प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक एवं उपस्थित सभी कार्मिकों एवं क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति पंजिका में दर्ज की गयी।

संलग्नक–यथोपरि।

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(एन0एस0 नबियाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।

श्री दिनेश चन्द्र सिंह गड़िया पुत्र श्री जोगा सिंह गड़िया निवासी ग्राम- किरोली पो०- काफली, तहसील व जिला- बागेश्वर द्वारा ग्राम-उड़ियार तहसील- दुगनाकुरी, जिला- बागेश्वर में सोप स्टोन माइनिंग (क्षे० 4.667 है०) की हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई मे उपस्थिति का विवरण :—

परियोजना स्थल:- निकट परियोजना स्थल,
समय एवं तिथि:- प्रातः 11:00 बजे. तिथि 8/08/2025

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	एन० एस० नबियाल	अपर जिलाधिकारी बागेश्वर	
2.	डॉ० डी० के जोशी	क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र०नि० बोर्ड हल्द्वानी	
3.	भरत रावत	पर्यावरण सलाहकार	
4.	चन्द्र वल्लभ जोशी	अनुभाग अधि० उ०प्र०नि० बोर्ड हल्द्वानी	
5.	कुन्दन तिवारी	PA to ADM. बागेश्वर	
6.	हरीश सिंह	ग्राम-बिठौली	
7.	केसर नाथ सिंह	ग्राम पुनौली सुरकाली ग्राम	
8.	विक्रम सिंह	ग्राम - किरोली	
9.	प्रदीप सिंह	ग्राम - किरोली	
10	हितेश सिंह	ग्रा - रंगदेऊ	
11	पूरन चन्द्र जोशी	" उड़ियार	
12	त्रिलोक सिंह	" उड़ियार	
13.	जोगा सिंह	" उड़ियार	
14.	मोहन सिंह	" उड़ियार	
15.	आन सिंह	" उड़ियार	
16.	तिलाक सिंह	" उड़ियार	तिलाकसिंह
17.	लक्ष्मण सिंह	उड़ियार	लक्ष्मणसिंह
18	दिनेश सिंह खाती	उड़ियार	
19.	रवीन्द्र सिंह	उड़ियार	
20.	पवन सिंह खाती	उड़ियार	
21.	राजेन्द्र सिंह खाती	उड़ियार	
22.	नीरज सिंह खाती	उड़ियार	
23.	राजन सिंह दाणा	ग्राम...	

जन सुनवाई
खनन परियोजना – दिनेश चन्द्र सिंह गढ़िया
उडियार सोपस्टोन एरिया (क्षेत्रफल – 4.667 है0)
ग्राम व पो0 – उडियार, तहसील – दुग्नाकुरी, जिला – बागेश्वर (उत्तराखण्ड)
सुनवाई स्थल – उडियार, बागेश्वर
समय व तिथि – प्रातः11 बजे, दिनांक – 8 अगस्त 2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालौनी – हल्द्वानी (नैनीताल)
परियोजना प्रस्तावक –दिनेश चन्द्र सिंह गढ़िया
र्यावरण सलाहकार – पी0 एण्ड एम0 सोल्यूशन, सी–88, सेक्टर 65, नोएडा – उ0प्र0

जन सुनवाई
खनन परियोजना – दिनेश चन्द्र सिंह गढ़िया
उडियार सोपस्टोन एरिया (क्षेत्रफल – 4.667 है0)
ग्राम व पो0 – उडियार, तहसील – दुग्नाकुरी, जिला – बागेश्वर (उत्तराखण्ड)
सुनवाई स्थल – उडियार, बागेश्वर
समय व तिथि – प्रातः11 बजे, दिनांक – 8 अगस्त 2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालौनी – हल्द्वानी (नैनीताल)
परियोजना प्रस्तावक –दिनेश चन्द्र सिंह गढ़िया
पर्यावरण सलाहकार – पी0 एण्ड एम0 सोल्यूशन, सी–88, सेक्टर 65, नोएडा – उ0प्र0

जन सुनवाई
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड